संख्याः19/2024/458ई-2/तेरह-2024-1815906

प्रेषक,

दुर्गा सिंह

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 12 जून, 2024

विषयः-मेसर्स एमब्रोसिया नेचर लिविंग एलएल.पी., खसरा नं.103, ग्राम सुक्खा खेड़ा, तहसील मलिहाबाद, लखनऊ में फल आधारित मीड वाइन विनिर्माण किये जाने के लिए 350 कार्य दिवस के के आधार पर 509800 लीटर वार्षिक क्षमता की द्राक्षासवनी स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-12/दो-प्रा.डी.-283/एम्ब्रोसिया, दिनांक 09.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 09.05.2024 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव, राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश व रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स एमब्रोसिया नेचर लिविंग एलएल.पी., खसरा नं.103, ग्राम सुक्खा खेड़ा, तहसील मलिहाबाद, लखनऊ में 350 कार्य दिवस के आधार पर 509800 लीटर वार्षिक क्षमता की फल एवं शहद आधारित मीड एवं फ्रूट वाइन निर्माण किये जाने हेतु द्राक्षासवनी स्थापित किये जाने की अनुमति इस इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरशः अनुपालन अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) उत्तर प्रदेश द्राक्षासवनी (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2022 में उल्लिखित नियम एवं शर्तें।

(2) समय-समय पर शासन द्वारा आबकारी नीति में निर्धारित निर्देश।

(3) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत कन्सेन्ट टू इस्टेब्लिश दिनांक 21-12-2023 में उल्लिखित नियम व शर्तें।

(4) इकाई को अग्निशमन विभाग से प्राप्त औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 17-08-2023 में उल्लिखित नियम व शर्तें।

(5) इकाई द्वारा जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन एवं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एण्ड स्टैण्डर्ड (FSSAI) से संबंधित आवश्यक कार्यवाही इकाई स्थापित होने से पूर्व अवश्य करा लिया जायेगा।

(6) इकाई द्वारा नियमानुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा द्राक्षासवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(7) इकाई द्वारा गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) एवं भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चितकिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) इस संदर्भ में लागू अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों एवं नियमावलियों आदि का अनुपालन भी आबकारी आयुक्त द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(9) अग्रतर कार्यवाही से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर कोई राजस्व बकाया न हो।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**